an>

Title: Need to make sale of paddy by farmers hassle-free in procurement centres of Jharkhand - Laid.

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि झारखंड प्रदेश में धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने की प्रक्रिया बहुत कठिन है जिसके कारण गरीब एवं आदिवासी किसानों को उनके धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है। अविभाजित बिहार एवं वर्तमान झारखंड प्रदेश में अंतिम सर्वे सेटेलमेंट 54 साल पूर्व सन 1964 में हुआ था। आज 95 बंशज बटायीदार कृषक के पास भू स्वामित्व प्रमाण पत्र एखतियान दस्तावेज पटटा रसीद एवं लगान रसीद के अभाव के कारण किसान अपने उपज धान की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विक्रय करने में असमर्थ है। क्योंकि उन्हें धान क्रय केन्द्रों में लगान की रसीद की अति आवश्यकता बताया जाता है। यह प्रक्रिया किसानों एवं आदिवासियों के हित में बिल्कुल नहीं है। उन्हें केन्द्र सरकार द्वारा बढ़ाये न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि धान क्रय केन्द्रों में लगान रसीद की अनिवार्यता के स्थान पर ग्राम प्रधान, ग्राम मुंडा अथवा स्थानीय मुखिया के द्वारा वंशावली अनुशंसा को मान्य किया जाये एवं धान क्रय करने की जटिल प्रक्रिया को समाप्त कर इसे किसानों के हित में सरलीकरण किया जाये।